

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या - 531/2023

मोती लाल यादव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उ.प्र.

लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: - व्यक्तिगत रूप से

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ऐश्वर्य माथुर, क्षितिज मिश्रा, राज कुमार उपाध्याय
(आर.के. उपाध्याय)

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. उपाध्याय की वाद-धारक सुश्री प्रगति सिंह को सुना गया।

2. यह रिट याचिका, जैसी कि आज की तिथि में है, निम्नलिखित मुख्य अनुतोष के लिये दायर की गई है:-

"(1). विपक्षी संख्या 04 को, जिसने अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर कब्जा कर रखा है, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ के पद से हटाने के लिये प्रतिवादीगण को अधिकार-पृच्छा की प्रकृति में एक रिट जारी करें और विपक्षी संख्या-01 द्वारा जारी प्रभार प्रमाण पत्र दिनांक 27/03/2023 को अपास्त किया जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, वर्ष 2023 में प्रासंगिक नियमावली में कुछ संशोधन किए गए हैं।
4. हमारा यह मत है कि यदि कोई हेतुक हो, तो याचिकाकर्ता प्रासंगिक नियमों में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए एक नई रिट याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी संख्या 4 के अब महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत न रह जाने के कारण रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।
5. हम, तदनुसार, उपरोक्त स्वतंत्रता, जहाँ तक यह विधि में अनुमेय हो, के साथ इस रिट याचिका को निस्तारित करते हैं।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 फरवरी, 2026

अनुज सिंह